भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1183

उत्तर देने की तारीख : 27.07.2023

अल्पसंख्यकों की शिक्षा को बढ़ावा

1183. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अल्पसंख्यक छात्रों के लिए कक्षा 1 से 8 के लिए छात्रवृत्ति योजना को बंद करके उन्हें शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत शामिल करते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने अल्पसंख्यक में शिक्षा को बढ़ावा देने के तरीकों की जांच करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी बच्चा बीच में पढ़ाई न छोड़े, एक पैनल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने छात्रवृत्ति योजना को बंद करने के निर्णय के बाद से विशेषकर मुस्लिम समुदाय के बच्चों के बीच में पढ़ाई छोड़ने और इसके परिणामस्वरूप ड्रॉपआउट बच्चों पर इसके प्रभाव का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) बीच में पढ़ाई छोड़ने के संबंध में गठित पैनल के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा अल्पसंख्यक, जो देश में शैक्षिक प्रणाली के अंतिम छोर पर हैं, के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (च): सरकार ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और समाज के कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों सहित हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने विशेष रूप से छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिए देश भर में मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति योजनाओं सहित विभिन्न योजनाएं लागू की हैं। शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम,

2009 सरकार के लिए प्रत्येक बच्चे को नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा I से VIII) प्रदान करना अनिवार्य बनाता है। तदनुसार, केवल IX और X कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ही इस मंत्रालय की मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आते हैं।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने ऐसा कोई पैनल गठित नहीं किया है।

*****